



मैनुअल—13

अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां

PARTICULARS OF RECIPIENTS OF
CONCESSIONS, PERMITS OR
AUTHORISATIONS GRANTED BY
IT;

विषय सूची

क्र.सं	विवरण	पृष्ठ संख्या
13	मैनुअल-13 अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां	01-13
13.1	जानकारी कर प्रारूप	03-13
13.2	मान्यता प्राप्त गोसदनों को राजकीय सहायता हेतु अनुदान दिये जाने सम्बन्धी शासनादेश	14-26

13.1 जानकारी का प्रारूप :-

कार्यक्रम का नाम

- प्रकार (रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार में से एक चुनें)
- उद्देश्य
- लक्ष्य (विगत वर्ष में)
- पात्रता
- पात्रता का आधार
- पूर्वापेक्षाएं
- प्राप्त करने की प्रक्रिया
- रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार दिए जाने के लिए निर्धारित समय सीमा (अवधि)
- आवेदन शुल्क
- आवेदन पत्र का प्रारूप
- सलंगनको की सूची
- सलंगनों का प्रारूप
- प्राप्तिकर्ताओं की सूची का प्रारूप

विभाग द्वारा प्रदत्त मांक	प्राप्तिकर्ता का नाम	वैधता किस दिनांक तक है	पिता का नाम			निवास	
				जिला	शहर	मोहल्ला/गांव	मकान न0

:

- रियायत के लिए दी जाने वाली जानकारी
- दिये जाने वाले लाभ का विवरण
- लाभ के वितरण की प्रिया

पशुपालन विभाग द्वारा किसी प्रकार की रियायत, अनुज्ञापत्र या प्राधिकार नहीं दिये जाते हैं।

संख्या-184681 / XV -1 / 24 / 1(21)23 / 47528

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार भट्ट,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पशुपालन अनुभाग-01

देहरादून : दिनांक 25 जनवरी, 2024

विषय:- स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सालयों के समान ही पशुचिकित्सालयों में प्राप्त होने वाले यूजर चार्ज/लेवी का 75 प्रतिशत स्थानीय पशुचिकित्साधिकारी द्वारा आपातकालीन औषधियों एवं उपकरणों के अनुरक्षण में व्यय करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4425/पशुधन-तीन/यूजर-लेवी/2023-24 दिनांक 06.10.2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सालयों के समान ही पशुपालन विभाग के अन्तर्गत पशुचिकित्सालयों में प्राप्त होने वाले यूजर चार्ज/लेवी का 75 प्रतिशत स्थानीय पशुचिकित्सा अधिकारी को आपातकालीन औषधियों एवं उपकरणों के अनुरक्षण में व्यय करने तथा अन्य आवश्यक प्रबंधकीय कार्य की अनुमति संलग्नक-1 संलग्न पर संलग्न दिशा निर्देशानुसार प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

यह आदेश वित्त विभाग के ई पत्र संख्या-184681 / XV-1 / 24 / 1(21)23 / 47528 दिनांक 23.01.2024 द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्न-यथोपरि

भवदीय

(राजेन्द्र कुमार भट्ट)
संयुक्त सचिव

ई संख्या : 184681 / XV -1 / 24 / 1(21)23 / 47528 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, गोपन/वित्त, उत्तराखण्ड, शास।

2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 पशुपालन मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. मुख्य निजी सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन को महोदय के संज्ञानार्थ।
5. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाँऊँ।
6. समस्त जिलाधिकारी।
7. समस्त मुख्य कोषाधिकारी।
8. अपर निदेशक, पशुपालन, गढ़वाल/कुमाँऊँ मण्डल।
9. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड फाईल।
11. अनु सचिव, सामान्य प्रशासन, उत्तराखण्ड शासन।

(महावीर सिंह परमार)
उप सचिव

संलग्नक-01

दिशा-निर्देश-

1. स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सालयों के समान ही पशुपालन विभाग के अन्तर्गत पशुचिकित्सालयों में प्राप्त होने वाले यूजर/लेवी का 75 प्रतिशत स्थानीय पशुचिकित्सा अधिकारी को आपातकालीन औषधियों एवं उपकरणों के अनुरक्षण में व्यय करने एवं अन्य आवश्यक प्रबंधकीय कार्य करने हेतु पशुचिकित्सा प्रबन्धन समिति का गठन किया जायेगा। उक्त समिति का कार्यालय सम्बन्धित विकासखण्ड स्तरीय राजकीय पशुचिकित्सालय होगा तथा समिति का कार्यक्षेत्र सम्बन्धित विकासखण्ड स्तरीय राजकीय पशुचिकित्सालय होगा।

2. पशुचिकित्सा प्रबन्धन समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे:-

- क. पशुचिकित्सालयों पर प्राप्त होने वाली यूजरचार्ज/लेवी के 75 प्रतिशत अंश से स्थानीय पशुचिकित्सालयों द्वारा आपातकालीन औषधियों को क्रय करने हेतु व्यय सुनिश्चित करना।
- ख. सार्वजनिक पशुस्वास्थ्य प्रदाताओं की समुदाय के लिये जबाब देही तथा वित्त प्रबन्धन में पारदर्शिता स्थापित करना।

- ग. राजकीय पशुचिकित्सालय की सभी चिकित्सा सेवाओं के सम्पादन के लिये उत्तरदायी होगी जिनमे वेट्रोलीगल मामले व अन्य सभी विधि सम्यक दायित्व भी सम्मिलित हैं समिति यह सुनिश्चित करायेगी कि क्षेत्र से आये रोगियों अथवा अन्य पशुचिकित्सा संस्थाओं अथवा अन्य पशुचिकित्सा द्वारा संदर्भित अस्वस्थ पशुओं का चिकित्सालय में तत्काल समुचित उपचार की व्यवस्था हो।
- घ. शासन द्वारा संचालित चिकित्सा तथा टीकाकरण कार्यक्रमों का अपने क्षेत्र में संचालन सुनिश्चित करना तथा तदनुरूप पर्यवेक्षण व निरीक्षण करना।
- ङ. समिति यह सुनिश्चित करेगी कि पशुस्वास्थ्य सुविधाओं से सम्बन्धित सिटिजन चार्टर चिकित्सालय में स्थापित हो।
- च. "स्वायत्त एवं स्वतंत्र" रूप से विभिन्न स्रोतों से धनराशि प्राप्त कर, उसका उपयोग पशुचिकित्सालय द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में विस्तार एवं गुणवत्ता में सुधार करने हेतु इस के लिये समिति शासन से प्राप्त धनराशि के साथ-साथ अन्य स्रोतों यथा उपभोक्ता प्रभार, अन्य सेवाओं व सुविधाओं से प्राप्त धनराशि के अलावा दान आदि से भी धनराशि प्राप्त कर सकती है अपने उद्देश्यों को यथोचित संचालन करने हेतु विभिन्न श्रोतो से निधियां प्राप्त करना एवं उनकी यथोचित लेखा व परीक्षण की व्यवस्था करना।
- छ. पशुचिकित्सालय भवनों का निर्माण विस्तार उचित उपयोग समय से भवनों उपकरणों एवं मशीनों की मरम्मत सुनिश्चित करना।
- ज. सभी पशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों को सफलता पूर्वक संचालन करना एवं उनमें पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करना।
- झ. पशुधन हेतु उचित मूल्य पर औषधियों, पीने का पानी एवं सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- ण. पशु चिकित्सकों एवं कर्मचारियों हेतु प्रशिक्षण एवं कार्यशाला का आयोजन करना।
- ट. पशुचिकित्सा संस्था से निकले कूड़े-कचरे को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करने हेतु व्यवस्था करना।

ठ. पशुचिकित्सालय भूमि का सदुपयोग राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित करना।

ड. ऐसे अन्य उपाय करना जो उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक एवं अनुभाषित हों।

3. समिति के कार्य एवं गतिविधियाँ निम्नानुसार होंगी :-

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समिति अपने संसाधनों से निम्नकार्यकलापों की पूर्ति हेतु निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही करेगी:-

क. पशुचिकित्सालयों पर प्राप्त होने वाली यूजर चार्ज/लेवी के 75 प्रतिशत अंश से स्थानीय पशुचिकित्सालयों द्वारा आपातकालीन औषधियों को क्रय करने हेतु व्यय सुनिश्चित करना।

ख. राजकीय पशुचिकित्सालय में बीमार पशुधन से सम्बन्धित समस्याओं का चिन्हीकरण व उनका समुचित समाधान करना।

ग. पशुचिकित्सालय हेतु यंत्रों उपकरणों, दवाओं, फर्नीचर, एम्बुलेन्स, कम्प्यूटीकरण आदि जो भी कार्यकारणी समिति द्वारा चिकित्सालय के उच्चीकरण तथा आधुनिकरण के लिए आवश्यक समझे जाये, का खरीद, दान, किराये अथवा किसी भी अन्य उचित साधन से व्यवस्था करना।

घ. पशुचिकित्सा संस्था भवन का रख-रखाव एवं विस्तार करना शासन से प्राप्त उपकरणों, वाहनों आदि का रख-रखाव, मरम्मत व संचालन करना आवश्यकतानुसार नये उपकरणों का क्रय करना।

ङ. किसी ऐसे पशुचिकित्सालय भवन का विस्तार राज्य सरकार की सहमति एवं दिशानिर्देशानुसार सुनिश्चित करना।

च. परिसर में धुलाई/सफाई/स्वच्छता व्यवस्था, जांच सुविधा इत्यादि की व्यवस्था करना।

छ. पशुचिकित्सालय के रखरखाव एवं देखरेख हेतु सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना पशुचिकित्सालय के दैनिक प्रबन्धन हेतु पर्यावरण संरक्षण तथा निरंतरता के लिए वैज्ञानिक पशुचिकित्सालय कचरा निस्तारण व्यवस्था, सौरप्रकाश, सौर आधारित रेफ्रिजरेशन व्यवस्था, जल संरक्षण, जल पुनरुपयोग व्यवस्था आदि को अंगीकृत करना।

ज. वे अन्य सभी कार्य जो उपरिलिखित उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिये आवश्यक हो तथा विधि सम्मत हो, कार्य करना।

झ. कैम्प इत्यादि के लिए दवाओं का क्रय, प्रचार-प्रसार इत्यादि करना।

4. समिति के संचालन मण्डल की सदस्यता निम्नवत् होगी:-

क्र.सं.	पदनाम	पदनाम
1	मुख्य विकास अधिकारी।	अध्यक्ष
2	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी।	उपाध्यक्ष
3	मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी।	सदस्य सचिव
4	जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा नामित एक जिला पंचायत सदस्य	सदस्य
5	जनपद कोषागार के कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।	सदस्य

अध्यक्ष की अनुमति से विशेष आमंत्रित सदस्य को समिति में सम्मिलित किया जा सकता है, परन्तु उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा।

5. विकासखण्ड स्तरीय पशुचिकित्सा प्रबन्धन समिति सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट (एक्ट नं०-21 ऑफ 1860) के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन करायेगी।

6. समिति का प्रबन्धकीय ढांचा :

- (अ) संचालक मण्डल समिति
- (ब) प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति

7. सदस्यता सम्बन्धी :

7.1 सदस्य : पशुचिकित्सा प्रबन्ध समिति की सदस्यता राज्य सरकार द्वारा शासनादेश के अन्तर्गत निर्देशित सूची के अनुसार होंगे समिति की सदस्यता निम्न प्रकार होगी:-

1. राज्य सरकार के द्वारा सूचीबद्ध विभागों द्वारा नामित सदस्य।
2. अध्यक्ष व जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य।

कार्यकाल : पदेन सदस्य का कार्यकाल पद पर बने रहने तक तथा नामित सदस्य का कार्यकाल दो वर्ष तक का होगा।

7.2 सदस्यता की समाप्ति

क. समिति के सामान्य सभी सदस्यों को पदे रूप से नामित किया जायेगा। अतः जो भी व्यक्ति पद पर आसीन होगा और जो पद का कार्यभार देख रहा होगा, वही सदस्य रहेगा।

ख. पदेन सदस्य अपने पद से कार्यमुक्त होने पर समिति की सदस्यता से निर्मुक्त हो जायेगा नामित सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः दो वर्ष होगा, यदि उससे पहले उनका नामांकन समाप्त न कर दिया जायें

ग. समिति के सदस्यों की सदस्यता उनके द्वारा पद त्याग अथवा मानसिक रूप से अक्षम अथवा किसी न्यायायिक दोष में लिप्त अथवा अपने पद से हटाये जाने पर स्वतः समाप्त मानी जायेगी

घ. सदस्यों की सदस्यता संचालक मण्डल के सदस्य सचिव को स्वयं प्रस्तुत किये जाने पर ही मान्य होगी तथा तब तक प्रभावी नहीं मानी जायेगी जब तक संचालक मण्डल के अध्यक्ष द्वारा उसे संचालक मण्डल की ओर से स्वीकार न कर लिया जायें।

- ड. यदि सदस्य द्वारा अपने पत्राचार पते पर कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसे सदस्य सचिव को सूचित करना आवश्यक होगा जिसे सदस्यता रजिस्टर में दर्ज करना आवश्यक होगा, जब तक सदस्य द्वारा ऐसा नहीं किया जाएगा, उक्त सदस्य का पता पूर्व का ही माना जाएगा।
- च. समिति के संचालक मण्डल के किसी भी खाली स्थान पर नामित विभाग के अधिकारी द्वारा ही नामित अधिकारी के नामितीकरण पर ही भरी जायेगी समिति का संचालक मण्डल की किसी भी कार्यवाही को नामी सदस्यों के स्थान खाली होने के बाद भी अवैध नहीं मानी जायेगी
- छ. समिति अथवा उसकी संचालन मण्डल का कोई भी सदस्य समिति से वेतन का अधिकारी नहीं होगा।

8 संचालक मण्डल सम्बन्धी:-

8.1 सामान्य बैठक:

1. संचालक मण्डल की बैठक प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार अनिवार्य रूप से की जायेगी, परन्तु संचालक मण्डल के अध्यक्ष के आदेश पर या प्रबंध कार्यकारिणी समिति के अनुरोध पर या एक तिहाई सदस्यों के आग्रह पर विशेष बैठक आयोजित की जा सकेगी संचालक मण्डल की बैठक के लिये बैठक सूचना दिनांक समय व स्थान के साथ बैठक से 21 दिन पूर्व देना आवश्यक होगा जो समिति के सदस्य सचिव द्वारा बैठक में लिये जाने वाले बिन्दुओं के कार्यवृत्त के साथ प्रत्येक सदस्य के दिया जाना आवश्यक है संचालक मण्डल की विशेष बैठक के लिये न्यूनतम 10 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक हैं।
2. पंजीकृत पशुचिकित्सालय प्रबंध समिति के अस्तित्व में आने पर प्रथम बैठक पंजीयन से तीन माह की अवधि में अनिवार्य रूप से बुलायी जायेगी, जिसमें कार्यकारिणी प्रबंध समिति को विधिवत् अधिकार प्रदान किये जाने पर विचार किया जायेगा।
3. संचालक मण्डल द्वारा प्रत्येक बैठक में न्यूनतम निम्नलिखित कार्यबिन्दुओं पर विचार किया जायेगा:-
 - क. पशुचिकित्सालयों पर प्राप्त होने वाली यूजर चार्ज/लेवी के 50 प्रतिशत अंश से स्थानीय पशुचिकित्सालयों पर क्रय की गयी आपात कालीन औषधियों का अनुमोदन प्रदान करना।
 - ख. पशुचिकित्सालय के बाह्य रोगी, आन्तरिक रोगी अथवा द्वार पर की गयी गत् तिमाही में प्रगति का विश्लेषण करना।
 - ग. गत तिमाही में पशुचिकित्सा कार्य क्षेत्र में किये गये पशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति का विश्लेषण करना।
 - घ. पर्यवेक्षण समिति के द्वारा दी गयी रिपोर्ट का विश्लेषण करना।
 - ड. राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त वित्त, यंत्र तथा दवाईया, जो सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त की गयी है, के स्तर का विश्लेषण करना।

- च. पशुस्वास्थ्य सुविधाओं से सम्बन्धित नागरिक चार्टर के अनुसार दी जाने वाली सेवाओं के प्रति यदि कोई शिकायत होतो उसका निवारण के लिये उठाये गये प्रयासों की प्रगति तथा प्रभाव का विश्लेषण करना।
- छ. उपरोक्त के अतिरिक्त समिति की वार्षिक भौतिक व वित्तीय रिपोर्ट तथा अन्य बिन्दुजो समय-समय पर कार्यकारणी समिति के अनुमोदन पर रखे जायेंगे, पर विचार करना।
- 4. समिति की संचालक मण्डल की बैठक की अध्यक्षता संचालक मण्डल अध्यक्ष द्वारा ही की जायेगी तथा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अथवा उपस्थित सदस्यों में से एक सदस्य की अध्यक्षता में बैठक संचालित की जायेगी।

8.2 वार्षिक सामान्य बैठक:

समिति के कार्य वर्ष समाप्त होने के बाद नियमानुसार होगा, जिसमें समस्त आय व्यय का अनुमोदन एवं बजट पारित किया जायेगा इस वार्षिक सामान्य बैठक के लिये लिखित नोटिस बैठक के दिनांक से कम से कम 21 दिन पूर्व दी जायेगी, जिसके साथ समस्त सदस्य/पदाधिकारी को वार्षिक लेखा जोखा का प्रारूप भी संलग्न किया जायेगा।

8.3 सामान्य वार्षिक बैठक में निम्नलिखित कार्य सम्पादित किये जायेंगे:

- क. पशुचिकित्सालयों पर प्राप्त होने वाली यूजरचार्ज/लेवीके 75 प्रतिशत अंश से स्थानीय पशुचिकित्सालयों पर क्रय की गयी आपातकालीन औषधियों का अनुमोदन प्रदान करना।
- ख. वार्षिक लेखा विवरण, आय व्यय का प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार करना।
- ग. समिति के वार्षिक बजट तथा सामान्य नीति एवं कार्यक्रम पर विचार करने के पश्चात् स्वीकृतिदेना।
- घ. प्रबंध कार्यकारिणी द्वारा संचालक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया कोई अन्य कार्य।

8.4 गणपूर्ति (कोरम)

समिति की बैठक समिति की दो तिहाई सदस्यों के कोरम पूरा होने पर ही प्रभावी मानी जायेगी यदि बैठक के लिये निश्चित समय से आधे घण्टे के भीतर गणपूर्ति पूरी न होतो बैठक के सदस्यों या बैठक प्रतिनिधियों के अभियाचन पर बुलायी गयी हो तो वह निश्चित समय के एक घण्टे के भीतर गणपूर्ति के अभाव में विघटित हो जायेगी, समिति की बैठक समिति के मुख्यालय अथवा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किसी भी स्थान पर की जा सकेंगी।

8.5 संचालक मण्डल के अध्यक्ष के कर्तव्य:

- क. अध्यक्ष, संचालक मण्डल के मुख्य नियंत्रक होंगे और वह ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन करेंगे, जो राज्य सरकार द्वारा निमित्त अधिनियम, नियम, उपविधि तथा तत्क्रम में समिति द्वारा पारित संकल्पों के अधीन प्रदत्त या आरोपित किये जायें।
- ख. संचालक मण्डल की सामान्य एवं अन्य बैठकों की अध्यक्षता करेगा।
- ग. ऐसे आवश्यक कार्य जिस पर निर्णय लेने के लिये संचालक मण्डल समिति की बैठक आहूत करना तुरंत सम्भव न हो. संचालक मण्डल के ऐसे अधिकारों को प्रयोग करेगा उक्त

कार्य का अनुमोदन आगामी बैठक में प्राप्त करना अनिवार्य होगा यदि उक्त कार्य का अनुमोदन निर्धारित अवधि के अंदर संचालन मण्डल समिति से प्राप्त न किया गया तो अध्यक्ष ऐसे कार्यों के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।

- घ. सभा में समस्त निर्णय बहुमत से कराये जायेंगे और समान मत प्राप्त होने पर अध्यक्ष को अपना निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त होगा।
- ङ. संचालक मण्डल अध्यक्ष के पास यह अधिकार होगा कि व समिति के कार्यों व प्रगति समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही हेतु आदेश दे तथा यदि किन्हीं विषयों पर जांच की आवश्यकता है तो जांच अधिकारी नियुक्त कर जांच के आदेश देंगे।
- च. संचालक मण्डल के अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि किसी सदस्य के जानबूझ कर अनुपस्थित रहने अथवा किन्हीं विशेषकारणों से उसके स्थान पर अन्य व्यक्ति को सदस्य के रूप में नामित करने पर उस सदस्य को उस बैठक के लिये मतदान देने का अधिकार होगा।

8.6 सदस्य सचिव:-

संचालक मण्डल के सचिव एवं प्रबंध कार्यकारिणी के सचिव के कर्तव्य:

- क. समितियों की बैठक समय-समय पर बुलाना और प्रस्तावों पर जो सुझाव प्राप्त हों को प्रस्तुत करना।
- ख. समितियों के आय-व्यय का लेखा परीक्षण एवं प्रतिवेदन तैयार कर के समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।
- ग. समितियों की बैठकों का कार्यवृत्त तैयार कर आवश्यक कार्यवाही करना।
- घ. समिति के विभिन्न विधिक दायित्वों का निर्वाहन करना।

9. प्रबंध कार्यकारिणी समिति

9.1 प्रबंध कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य

क्र.सं.	पदनाम	पदनाम
1	जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0 (विकासखण्ड की संख्या के आधार पर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा नामित किया जाये।	अध्यक्ष
2	सम्बन्धित विकासखण्ड का वरिष्ठतम पशुचिकित्साधिकारी।	सदस्य सचिव
3	खण्ड विकास अधिकारी।	सदस्य
4	जनपद कोषागार के कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी द्वारा नामित उप कोषाधिकारी/सहायक कोषाधिकारी /सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो	सदस्य
5	प्रमुख क्षेत्र पंचायत समिति द्वारा नामित एक क्षेत्र पंचायत सदस्य।	सदस्य

9.2 प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति की बैठक:-

प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति की बैठक सदस्य सचिव द्वारा 7 दिन के नोटिस के साथ कार्यवृत्त दिनांक व समय से सभी सदस्यों को अवगत कराया जायेगा, प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति तिमाहि बैठक आयोजित की जायेगी।

9.3 प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति के कार्य—

- क. पशुचिकित्सालयों पर प्राप्त होने वाली यूजर चार्ज/लेवी के 75 प्रतिशत अंश से स्थानीय पशुचिकित्सालयों पर क्रय की गयी आपातकालीन औषधियों का अनुमोदन प्रदान करना।
- ख. विगत माह पशु चिकित्सालयों से रोगी एवं अन्तःरोगी पशुसेवाओं की समीक्षा करना।
- ग. विगत माह पशुचिकित्सालय के द्वारा दी गयी पशुचिकित्सा सेवाओं की समीक्षा करना।
- घ. सिटीजन चार्टर को लागू करना।

प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति की मासिक बैठक के कार्यवृत्त को संचालक मण्डल की आगामी बैठक में रखा जायेगा।

10. वित्तीय लेखा एवं आडिट (अंकेंक्षण):

- क. समिति अपने धन संबंधी तथा परिसम्पत्तियों संबंधी लेखों को लेखा नियमों के आधार पर रखेगी।
- ख. समिति के वित्तीय लेखों का राज्य सरकार द्वारा चिन्हीत चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा वार्षिक अंकेंक्षण कराया जायेगा।
- ग. आडिटर द्वारा वार्षिक आडिट रिपोर्ट समिति को प्रस्तुत की जायेंगी जिसकी प्रतिलिपि समिति के अध्यक्ष को दी जायेगी।
- घ. आडिट के लिये आने वाले खर्च को समिति आडिटर को भुगतान करेगी।
- ङ. राज्य सरकार द्वारा नियुक्त ऑडिटर को लेखा सम्बन्धित बिलों व सम्बन्धित कागजों को देखने का अधिकार होगा।

11. बैंक खाता:

समिति का बैंक खाता संचालक मण्डल के द्वारा निर्देशित बैंक में खोला जायेगा, जिसमें समिति को प्राप्त होने वाली सभी धनराशियों को जमा किया जायेगा इस खाते की राशि का आहरण अध्यक्ष व कार्यकारिणी के एक सदस्य जिसे अध्यक्ष, संचालक मण्डल द्वारा नामित किया गया हो, के हस्ताक्षरों वाले चेक या बिल नोट अथवा ऐसी ही किसी पद्धति के माध्यम से किया जायेगा।

12. विधायी अधिकार व नियम:

- क. समिति के विरुद्ध यदि कोई सूट या न्यायिक प्रक्रिया में डिग्री/आदेश पारित किये जाते हो तो में समिति की सम्पत्ति पर लागू होंगे किसी व्यक्ति विशेष, अध्यक्ष, सचिव की सम्पत्ति पर लागू नहीं होगी।
- ख. समिति की कानूनी कार्यवाहियां अध्यक्ष अथवा सदस्य सचिव अथवा समिति के अन्य किसी पदधिकारी की पद स्थान पर न होने के कारण रोकी नहीं जायेंगी।
- ग. यदि किसी कोर्ट द्वारा समिति के अध्यक्ष/सदस्य सचिव/अन्य पदाधिकारी को अपराधी पाया जाता है तो वह ऐसे किसी न्यायायिक प्रक्रिया के अन्तर्गत आयेगा जिसके लिये समिति उत्तरदायी नहीं होगी तथा समिति संसाधनों का ऐसे किसी न्यायायिक दण्ड की प्रतिपूर्ति के लिये उपयोग नहीं किया जा सकेगा।

घ. संस्था के कोई भी विवाद सुलह एवं मध्यस्थम अधिनियम, 1996 के अधीन नियुक्त माध्यस्थम द्वारा निस्तारित किया जायेगा, जिसका निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

13. नियमावली संशोधन:

समिति को अपनी नियमावली में संशोधन का अधिकार समिति के उद्देश्य की प्राप्ति के लिये गठित की गयी है उसमें संशोधन, विस्तार समिति के निवेशको नियमानुसार बदल सकते हैं।

14. विघटन:

संचालक मण्डल द्वारा राज्य सरकार के तत्सम्बन्धी एक्ट के अनुरूप समिति को व शेष बैठक के आधार पर एक प्रस्ताव लाकर विघटित करने का अधिकार होगा।

15. अनुबंध:

समिति के लिये किये जाने वाले सभी अनुबंध तत्सम्बन्धी एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप होंगे तथा सभी अनुबंध समिति की और से संचालक मण्डल द्वारा अधिकारिक सदस्य द्वारा निर्वाह किये जायेंगे।

16. समिति मोहर

समिति की संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदित मोहर होगी।

17. राज्य सरकार के अधिकार

उप मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी को विकासखण्डस्तरीय राजकीय पशुचिकित्सालय प्रबंधन समिति की गतिविधियों का मूल्यांकन, पयवेक्षण तथा पुर्ननिरिक्षण का अधिकार होगा।

18. कठिनाई दूर करने की शक्ति:

इस संगम अनुच्छेदों में किसी बात के होते हुए कठिनाई निराकरण की शक्ति सरकार में निहित होगी।

13.2 मान्यता प्राप्त गोसदनों को राजकीय सहायता हेतु अनुदान दिये जाने सम्बन्धी शासनादेश

संख्या-452/XV-1/23-1(8)/2022

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार भट्ट
सुयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

पशुपालन अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक 06 मार्च, 2023

विषय : वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों को निर्माण मद में राजकीय अनुदान अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-4721-23/Ukd(52Top)/2022-23 दिनांक 08 फरवरी, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या 807 दिनांक 07 अक्टूबर, 2011 के अनुरूप गोसदनों को निर्माण मदों में वित्त विभाग (टी०ए०सी०), उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्वीकृत मानक आंगणनों के सापेक्ष 60% राजकीय अनुदान तथा अवशेष 40% राशि सम्बन्धित आवेदक संस्था द्वारा स्वयं के संसाधनों के निर्वहन किये जाने का प्राविधान के आलोक में शासनादेश संख्या 544 दिनांक 25 जून, 2012 के म में संलग्नक तालिकानुसार पर्वतीय क्षेत्रों के उक्त 06 गोसदनों को गोशाला निर्माण हेतु मानक मद दर रु० 7.64 लाख प्रति गोसदन की दर से कुल रु० 45.84 लाख एवं मैदानी क्षेत्रों के उक्त 04 गोसदनों को गोशाला निर्माण हेतु मानक दर रु० 6.55 लाख प्रति गोसदन की दर से कुल रु० 26.20 लाख इस प्रकार निर्माण मद हेतु कुल अनुमोदित धनराशि रु० 72.04 लाख (रु० बहत्तर लाख चार हजार मात्र) अवमुक्त किये का अनुरोध शासन से किया गया है।

2. उक्त के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में आय-व्ययक में उपलब्ध धनराशि अनुदान संख्या-28 के अन्तर्गत संलग्नक तालिकानुसार पर्वतीय क्षेत्रों के उक्त 06 गोसदनों को गोशाला निर्माण हेतु मानक दर रु० 7.64 लाख प्रति गोसदन की दर से कुल रु० 45.84 लाख एवं मैदानी क्षेत्रों के उक्त 04 गोसदनों को गोशाला निर्माण हेतु मानक मद रु० 6.55 प्रति गोसदन की दर से कुल रु० 26.20, इस प्रकार निर्माण मद हेतु कुल अनुमोदित धनराशि रु० 72.04 लाख (रु० बहत्तर लाख चार हजार मात्र) की धनराशि निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृत करते हैं :-

(1) धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये मितव्ययता संबंधी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 05 तारीख तक प्रपत्र बी०एम० 13 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(3) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से कदापि व्यय न किया जाय। धनराशि के व्यय हेतु वित्त हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों का पालन किया जाय। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।

(4) कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा शेड्यूल ऑफ रेट्स में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव में

ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियंता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराना आवश्यक होगा।

(5) कार्य करने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

(6) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(7) कार्य करने से पूर्व सक्षम अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली-भाँति निरीक्षण अवश्य कर लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।

(8) निर्माण सामग्री को उपयुक्त उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण अधिकृत प्रयोगशाला में अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त एवं गुणवत्ता युक्त सामग्री ही प्रयोग में लाई जाये।

(9) आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व **Uttaralhand Procurement Rules 2017** में निर्धारित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(10) गौसदनों की स्थापना हेतु दिशा-निदेश संबंधी शासनादेश संख्या-759/XV&1/1(3)2008 दिनांक 16 दिसम्बर, 2008 की शर्तों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दुरुपयोग, दोहरीकरण एवं अनियमितता पाये जाने पर निदेशक, पशुपालन एवं आहरण वितरण अधिकारी, पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।

2. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-28 के लेखाशीर्षक 2403-पशुपालन आयोजनागत-00-106-अन्य पशुधन विकास-07 गोसदनों की स्थापना-42-अन्य व्यय के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

1. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-391 दिनांक 24 जून, 2022 में दिये गये प्रदत्त दिशा-निर्देशों के म में जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार भट्ट)
संयुक्त सचिव

संख्या 452(1)/XV-1/23-1(8)/2022 एवं दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
- 2- आयुक्त, कुमायूँ मण्डल/गढ़वाल मण्डल।
- 3- जिलाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून उत्तराखण्ड।
- 5- सचिव, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड, देहरादून।
- 6- संबंधित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 7- बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 8- वित्त अनुभाग-4/नियोजन अनुभाग।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अम्बिका वशिष्ठ)
अनु सचिव

संख्या (1)/XV-1/23-1(3)2008 एवं तद्दिनांक।
पर्वतीय क्षेत्रान्तर्गत मान्यता प्रदत्त गोसदन

०	गोसदन का नाम	शरणगत गोवंश की औसत संख्या	निर्माण मद हेतु अनुमोदित धनराशि रु० लाख में
1.	ग्राम्य समाज कल्याण समिति, ग्राम पोस्ट (तोत्यो सल्ट), जनपद -अल्मोड़ा।	76	7.64
2.	श्री गुरु कृपा सुरक्षा समिति, ग्राम-जैखाल, विकासखण्ड-स्यालदे, जिला अल्मोड़ा।	82	7.64
3.	श्री कृष्णा गोसेवा धाम चेरिटेबल ट्रस्ट, मूनाकोट, पिथौरागढ़	39	7.64
4.	मॉ कामधेनु वात्सल्य सेवा धाम ट्रस्ट, पो धेनीशिलिंग, चम्पावत्।	206	7.64
5.	स्वधर्म गो गोपाल सेवाश्रम सोसाइटी गनगर सिलासेरा, पो० सिल्यारा (चमियाला) तहसील घनसाली, टिहरी।	44	7.64
6.	महासू गो सेवा सहायोग समिति, देहरादून।	47	7.64
कुल योग			45.84

मैदानी क्षेत्रान्तर्गत मान्यता प्रदत्त गोसदन

०	गोसदन का नाम	शरणगत गोवंश की औसत संख्या	निर्माण मद हेतु अनुमोदित धनराशि रु० लाख में
1.	श्री नित्यानन्द पाद आश्रम, श्री श्री गौर आश्रम	1035	6.55
2.	श्री राधाकृष्ण गौ-सेवा सदन ट्रस्ट, ग्राम-लखनपुर बेरिया रोड़, बाजपुर	1386	6.55
3.	गेलोक धाम, ग्राम कनक पुर रुद्रपुर, तहसील-किच्छा, जिला-ऊ०सि०न०।	157	6.55
4.	हरि ओम आश्रम कड़वा पानी न्यास ग्राम-भुडडी डाकघर-कारबारी शिमला बाईपास रोड़, देहरादून।	635	6.55
कुल योग			26.20
महायोग 45.84+26.20			
=72.04 Lakh			

(इस प्रकार निर्माण मद हेतु कुल अनुमोदित धनराशि 72.04 लाख)

(अम्बिका वशिष्ठ)
अनु सचिव

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार भट्ट
सुयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

पशुपालन अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक 15 दिसम्बर, 2022

विषय : मान्यता प्राप्त गोसदनों को राजकीय सहायता हेतु अनुदान दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सचिव, उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड के पत्र संख्या-3634-36UAWB (52 Top)/2022-23 दिनांक 07 नवम्बर, 2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-28 के अन्तर्गत गौसदनों की स्थापना योजनान्तर्गत अवशेष प्राविधानित धनराशि रु० 450.65326 लाख के सापेक्ष गो सदनों को भरण पोषण में राजकीय सहायता हेतु मान्यता प्राप्त अर्ह निम्न गो सदनों में समानुपातिक आधार पर उनमें शरणागत गोवंश की संख्या अनुरूप रु० 20.586 लाख (रु० बीस लाख अठावन हजार छः सौ मात्र) की शासनादेश संख्या-756 / XV-1 / 22-1(8)2022 दिनांक 02 अगस्त, 2022 में सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रु० लाख में)

सं०	गोवंश भरण-पोषण मद में राजकीय अनुदान हेतु मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदन का नाम	गोसदन में शरणागत गोवंश की औसत संख्या	राजकीय अनुदान हेतु गोसदन की अनुपातिक हिस्सेदारी (रु० 30.00)
1	श्री गोपालन गोलोकधाम सेवा संस्थान, निकट शानिदेव मन्दिर, पौड़ी।	85	9.30750
2.	कृष्णा गौ सेवा समिति, गौचर जनपद चमोली गढ़वाल	103	11.27850
योग		188	20.58600

2. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-28 के लेखाशीर्षक 2403-पशुपालन आयोजनागत-00-106-अन्य पशुधन विकास-07 गोसदनों की स्थापना -42-अन्य विभागीय व्यय के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

3. निदेशक, पशुपालन यह सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त गोसदनों को दिये जा रहे अनुदान का पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित हो। उल्लंघन की दशा में निदेशक, पशुपालन की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

4. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश -391/9(150)2019/XXVII(1)/2022 दिनांक 24 जून, 2022 के म में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार भट्ट)
संयुक्त सचिव

संख्या (1)/XV-1/22-1(8)2022 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड देहरादून।
4. संबंधित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-4।
6. गार्ड फाइल।

(राजेन्द्र कुमार भट्ट)
संयुक्त सचिव

प्रेषक,

डा०बी०वी०आर०सी०पुरुषोत्तम
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक 18 अक्टूबर, 2022

विषय : वित्तीय वर्ष, 2022-23 हेतु मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों को राजकीय अनुदान अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2146-49UAWB(52 Top)/2022-23 दिनांक 31.08.2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में गो सदनों की स्थापना योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि रु० 1500.00 लाख के सापेक्ष गोसदनों को भरण-पोषण में राजकीय सहायता हेतु मान्यता प्राप्त अर्ह गोसदनों में समानुपातिक आधार पर उनमें शराणागत गोवंश की संख्या के अनुरूप निम्न तालिका -1 तालिका-2 एवं तालिका-3 के अनुसार धनराशि रु० 96601674(रु० नौ करोड छयासठ लाख एक हजार छः सौ चौवहत्तर मात्र) की धनराशि शासनादेश संख्या-756 / XV-1 / 22-1(8) / 2022 दिनांक: 02 अगस्त, 2022 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर प्रदिष्ट किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

राजकीय पशुधन प्रक्षेत्र, पशुलोक अन्तर्गत गोसदन हेतु गोवंश भरण-पोषण मद में राजकीय अनुदान।

(तालिका-1)

गोसदन का नाम	गोवंश की संख्या	पूर्व में अवमुक्त धनराशि (अनुपातिक) हिस्सेदारी रु० 2.44	वर्तमान में अवमुक्त की जा रही धनराशि (अनुपातिक) हिस्सेदारी रु० 42.56
परियोजना निदेशक, भेड़ एवं ऊन प्रसार संस्थान पशुलोक ऋषिकेश	25	22.275	3,88,350

नवीन मान्यता एवं पुनर्नवीकरण के प्रकरणों वाले गोसदनों को मान्यता के समय शराणागत गोवंश के सापेक्ष अनुदान। (तालिका-2)

सं०	गोसदन का नाम	गोसदन में गोवंश की संख्या	अवमुक्त की जा रही धनराशि (अनुपातिक हिस्सेदारी रु० 30.00)
1	देवभूमि गोसेवा सदन रविग्राम, मनोटी औली-जोशीमठ चमोली।	25	2,73,750
2	श्री राम गोशाला दुगनाकुरी ग्राम धामी हथरसिया जनपद बागेश्वर	25	2,73,750

3	गर्ग ऋषि गोसेवा समिति, ग्राम किमाड विकासखण्ड पाटी चम्पावत ।	90	9,85,500
4	श्री सेमनागराज गोसेवाश्रम मुखेम टिहरी गढ़वाल ।	86	9,41,700
5	महासू गोसेवा सहयोग समिति, देहरादून ।	47	5,14,650
6	ग्राम्य समाज कल्याण समिति, ग्राम तोल्यो अल्मोडा ।	76	8,32,200
	कुल योग	349	38,21,550

मान्यता प्रदत्त गैर सरकारी पशुकल्याण संस्थाओं द्वारा संचालित गोसदनों को उनमें शरणागत गोवंश की संख्या के अनुपात में भरण-पोषण मद में अनुदान ।

सं०	गोवंश भरण-पोषण मद में राजकीय सहायता हेतु गोसदन का नाम	शरणागत गोवंश की संख्या	राजकीय अनुदान हेतु गोसदन की अनुपातिक हिस्सेदारी (रु०30)	पूर्व में अवमुक्त की गई धनराशि	वर्तमान में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	श्री राधेकृष्ण, गौ-सेवा सदन बाजपुर ऊ०सिंह नगर	1386	15176700	1234947	139441753
2	गोलोक धाम, ग्राम कनकपुर रूद्रपुर, ऊ०सिंह नगर	157	1719150	139889	1579261
3	श्री कृष्ण प्रणामी महाराज अग्रसेन गोशाला ट्रस्ट सितारगंज ऊधमसिंहनगर	240	2628000	213844	2414156
4	श्री नित्यानन्द पाद आश्रम परमा, हल्द्वी, नैनीताल	1035	1133250	922201	10411049
5	उत्तराखण्ड जनविकास समिति, बिन्दुखाता, नैनीताल ।	52	569400	46333	523067
6	श्री गुरु कृपा गो-सुरक्षा समिति, स्यालदे अल्मोडा	82	897900	73063	824837
7	श्री नीम करौरी महाराज माँ गायत्री ट्रस्ट मासी, अल्मोडा ।	34	372300	30295	342005
8	माँ कामधेनु वात्सल्य सेवा धाम ट्रस्ट, चम्पावत	206	2255700	183549	2072151
9	श्री नित्य आश्रम गोसेवा समिति, कालाझाला टनकपुर चम्पावत ।	112	1226400	99794	1126606

10	श्री कृष्ण गोसेवा धाम चेरिटेबल ट्रस्ट, पिथौरागढ़	39	427050	34750	392300
11	पर्वतीय गौरक्षा सेवा समिति, ग्राम ईडधार थलीसैण, पौड़ी	74	810300	65935	744365
12	आकृति सेवा समिति, आमपड़ाव कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल।	234	2562300	208498	2353802
13	उपकार समिति राईसेरा ग्राम राईसेरा, पोन्ढौटियाल तहसील लैंसडान पौड़ी गढ़वाल।	43	470850	38314	432536
14	गोवंश संरक्षण उत्थान समिति, ग्राम मेलधार विकासखण्ड बीरोखाल थलीसैण पौड़ी।	42	459900	37423	422477
15	गोरक्षा सेवा समिति खैड़ मनकोट पौड़ी गढ़वाल।	113	1237350	100685	1136665
16	सर्वम सेवा संस्थानम् 64 ऋषिकेश कालोनी ऋषिकेश पौड़ी गढ़वाल।	95	1040250	84646	955604
17	गुरुदेव फाउन्डेशन सोसाइटी ग्राम खाडीगांव, पट्टी इण्डवालस्यू पौड़ी गढ़वाल।	63	689850	56134	633716
18	डांडामण्डल 1फ्ट ऐशोसिएशन ग्राम व पोन् किमसार पौड़ी गढ़वाल	78	854100	69499	784601
19	गोवर्धन गो तीर्थ आश्रम, ग्राम-गजल्ड, श्रीनगर पौड़ी रोड, पौड़ी	86	941700	76627	865073
20	अ०भा० श्री हनुमान गो-सेवा ट्रस्ट ग्राम-हिटारा चिन्याली उत्तरकाशी	159	1741050	141671	1599379
21	अरण्यक जन सेवा संस्था, शान्ता आश्रम नियर शान्ता देवी देवप्रयाग टिहरी।	35	383250	31186	352064
22	उत्तराखण्ड गो सम्बर्धन समिति, कोटेश्वपुरम टिहरी	130	1423500	115832	1307668
23	स्वधर्म गो गोपाल सेवाश्रम सोसाइटी, गनगर सिलासेरा, टिहरी	44	481800	39205	442595
24	माँ चण्डिका कर्मस्थल सेवा समिति, सिमलि कर्णप्रयाग, चमोली	31	339450	27621	311829
25	शाकुम्भरी गोरक्षा सेवा समिति, ग्राम हडोवाला, पोन्ओन्शोक आश्रय देहरादून।	133	1456350	118505	1337845
26	दून एनिमल वैलफेयर ट्रस्ट, शिमला बाईपास रोड रतनपुर गांव, देहरादून।	879	9625050	783202	8841848
27	हरि ओम आश्रम ग्राम-भुडडी, शिमला	635	6953250	565795	6387455

	बाईपास रोड़, देहरादून				
28	भारतीय ग्राम्यविकास एवं गोरक्षार्थ न्यास, झीवरहेड़ी, हरिद्वार	122	1335900	108704	1227196
29	गौशाला सभा रुड़की चाव मण्डी, रुड़की, हरिद्वार	346	3788700	308291	3480409
30	श्री कृष्णायन देशी गोरक्षा, गैडीखत्ता	2159	23641050	1923702	21717348
31	श्री गोपीनाथ जी गौशाला समिति, ग्राम कालूबांस हरिद्वार।	130	1423500	115832	1307668
32	शिमला देवी गोसेवा धाम ट्रस्ट ग्राम रायपुर रामगढी हरिद्वार।	186	2036700	165729	1870971
33	गोसेवा न्यास गुकुल ग्राम ज्योली तोक शोले जनपद अल्मोडा	25	273750	22275	251475
	योग	9185	100575750	8183976	92391774

2. उक्त धनराशि का व्यय व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-28 के लेखाशीर्षक 2403-पशुपालन आयोजनागत-00-106-अन्य पशुधन विकास-07 गोसदनों की स्थापना-42-अन्य विभागीय व्यय के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश -391/9(150)2019/XXVII(1)/2022 दिनांक 24 जून, 2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों के म में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा०बी०वी०आर०सी०पुरुषोत्तम)
सचिव

संख्या 1273(1)/XV-1/22-1(8)22 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा० पशुपालन मंत्री को मा० मंत्री जी के अवगतार्थ।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
3. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड, देहरादून।
5. संबंधित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-4/नियोजन अनुभाग।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी०एस०पुण्ड्रीर)
उप सचिव

प्रेषक,

डा०बी०वी०आर०सी०पुरुषोत्तम
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक 02 अगस्त, 2022

विषय : वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदनों को राजकीय अनुदान अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-968-71धUkd.AWB(52 Top)/2020-21 दिनांक 16 जून, 2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रु० 1500.00 लाख के सापेक्ष गोसदनो को भरण पोषण में राजकीय सहायता के अंतर्गत गत वित्तीय वर्ष पर्वतीय गौरक्षा सेवा समिति, ग्राम ईडधार, थलीसैण जनपद पौड़ी को धनराशि निर्गत न हो पाने के कारण चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में गत वित्तीय वर्ष के सापेक्ष गोवंश भरण पोषण अनुदान, गोवंश की औसत वार्षिक संख्या-(67) X गत वित्तीय वर्ष हेतु अनुदान की दर (1891.79 रु० 126,750/- एवं निम्न 34 मान्यता प्राप्त अर्ह गोसदनों में समानुपातिक आधार पर उनमें शरणागत गोवंश की संख्या के अनुरूप निम्न तालिकानुसार धनराशि रु० 82,06,250/- सहित की धनराशि कुल धनराशि रु० 83.33 लाख (तिरासी लाख तैतीस हजार मात्र) निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

सं०	गोवंश भरण-पोषण मद में राजकीय मद में राजकीय अनुदान हेतु मान्यता प्रदत्त एवं अर्ह गोसदन का नाम	गत वित्तीय वर्ष में गोसदन में शरणागत गोवंश की वार्षिक औसत संख्या	राजकीय अनुदान हेतु गोसदन की अनुपातिक हिस्सेदारी (Rs)
1	श्री राधेकृष्ण, गौ-सेवा सदन बाजपुर ऊ०सिंह नगर	1386	12,34,947
2	गोलोक धाम, ग्राम कनकपुर रुद्रपुर, ऊ०सिंह नगर	157	1,39,889
3	श्री कृष्ण प्रणामी महाराज अग्रसेन गोशाला ट्रस्ट सितारगंज ऊधमसिंहनगर	240	2,13,844
4	श्री नित्यानन्द पाद आश्रम परमा, हल्द्वौड, नैनीताल	1035	9,22,201
5	उत्तराखण्ड जनविकास समिति, बिन्दुखाता, नैनीताल।	52	46,333
6	श्री गुरु कृपा गो-सुरक्षा समिति, स्यालदे अल्मोडा	82	73,063
7	श्री नीम करौरी महाराज माँ गायत्री ट्रस्ट मासी, अल्मोडा।	34	30,295
8	माँ कामधेनु वात्सल्य सेवा धाम ट्रस्ट, चम्पावत	206	1,83,549
9	श्री नित्य आश्रम गोसेवा समिति, कालाझाला टनकपुर चम्पावत।	112	99,794

10	श्री कृष्ण गोसेवा धाम चेरिटेबल ट्रस्ट, पिथौरागढ़	39	34,750
11	पर्वतीय गौरक्षा सेवा समिति, ग्राम ईडधार थलीसैण, पौड़ी	74	65,935
12	आकृति सेवा समिति, आमपड़ाव कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल।	234	2,08,497
13	उपकार समिति राईसेरा ग्राम राईसेरा, पोन्ढौटियाल तहसील लैंसडान पौड़ी गढ़वाल।	43	38,314
14	गोवंश संरक्षण उत्थान समिति, ग्राम मेलधार विकासखण्ड बीरोखाल थलीसैण पौड़ी।	42	37,423
15	गोरक्षा सेवा समिति खैड़ मनकोट पौड़ी गढ़वाल।	113	1,00,685
16	सर्वम सेवा संस्थानम् 64 ऋषिकेश कालोनी ऋषिकेश पौड़ी गढ़वाल।	95	84,646
17	गुरुदेव फाउन्डेशन सोसाइटी ग्राम खाडीगांव, पट्टी इण्डवालस्यू पौड़ी गढ़वाल।	63	56,134
18	डांडामण्डल अप्ट ऐशोसिएशन ग्राम व पो० किमसार पौड़ी गढ़वाल	78	69,499
19	गोवर्धन गो तीर्थ आश्रम, ग्राम-गजल्ड, श्रीनगर पौड़ी रोड, पौड़ी	86	76,627
20	अ०भा० श्री हनुमान गो-सेवा ट्रस्ट ग्राम-हिटारा चिन्याली उत्तरकाशी	159	1,41,671
21	अरण्यक जन सेवा संस्था, शान्ता आश्रम नियर शान्ता देवी देवप्रयाग टिहरी।	35	31,186
22	उत्तराखण्ड गो सम्वर्धन समिति, कोटेश्वपुरम टिहरी	130	1,15,832
23	स्वधर्म गो गोपाल सेवाश्रम सोसाइटी, गनगर सिलासेरा, टिहरी	44	39,205
24	माँ चण्डिका कर्मस्थल सेवा समिति, सिमलि कर्णप्रयाग, चमोली	31	27,621
25	शाकुम्भरी गोरक्षा सेवा समिति, ग्राम हडोवाला, पो०ओ०अशोक आश्रय देहरादून।	133	1,18,805
26	दून एनिमल वैलफेयर ट्रस्ट, शिमला बाईपास रोड रतनपुर गांव, देहरादून।	879	7,83,202
27	हरि ओम आश्रम ग्राम-भुडडी, शिमला बाईपास रोड, देहरादून	635	5,65,795
28	भारतीय ग्राम्यविकास एवं गोरक्षार्थ न्यास, झीवरहेड़ी, हरिद्वार	122	1,08,704
29	गौशाला सभा रुड़की चाव मण्डी, रुड़की, हरिद्वार	346	3,08,291
30	श्री कृष्णायन देशी गोरक्षा, गैडीखत्ता	2159	19,23,702

31	श्री गोपीनाथ जी गौशाला समिति, ग्राम कालूबांस हरिद्वार।	130	1,15,832
32	शिमला देवी गोसेवा धाम ट्रस्ट ग्राम रायपुर रामगढी हरिद्वार।	186	1,65,729
33	गोसेवा न्यास गुकुल ग्राम ज्योली तोक शोले जनपद अल्मोडा	25	22,275
34	परियोजना निदेशक, भेड़ एवं ऊन प्रसार संस्थान पशुलोक-ऋषिकेश।	25	22,275
	योग रू०	9210	82,06,250

1. उक्त धनराशि गोवंश के भरण-पोषण हेतु शासनादेश संख्या-759/XV-1/1/1(3)/2008 दिनांक 16.12.2008 एवं शासनादेश संख्या-1063/XV-1/16/1(3)/2008 दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप स्वीकृत की जायेगी।
2. धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा आहरण वितरण अधिकारी धनराशि की फांट कर उसकी प्रति शासन को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रथा के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम०-8 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।
4. अवमुक्त की जा रही धनराशि का आवश्यकतानुसार मासिक रूप से आहरण किया जाय एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में आवंटित धनराशि से अधिक किसी दशा में व्यय नहीं की जायेगी और न अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा।
5. वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद में के संबंध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जाये और तदनुसार प्रत्येक मद के संबंध में प्रावधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जाये।
6. बजट नियंत्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष द्वारा बी०एम०-10 प्रारूप में बजट नियंत्रक पंजी में उनके स्तर पर उपलब्ध बजट तथा उनके स्तर से अधीनस्थ अधिकारियों को आवंटित बजट का विवरण रखा जायेगा। इस संबंध में सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/बजट हस्ताक्षर से अनुदान के अधीन धनराशियां जारी की जाय, अन्यथा कोषागार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा, जिसके लिए सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
7. प्रशासनिक/बजट नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा राजस्व एवं पूंजीगत पक्ष में बजट प्राविधान, अवमुक्त धनराशि तथा व्यय धनराशि का नियमित लेखा जोखा रखा जाय एवं मासिक आधार पर इसका महालेखाकार, उत्तराखण्ड के स्तर पर मिलान करते हुए मिलान का प्रमाणित विवरण वित्त अनुभाग-1 बजट निदेशालय तथा पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को भी प्रेषित किया जाय।

8. स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के संबंध में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता/दुरुपयोग/दोहरीकरण (Doubling) पाये जाने पर विभागाध्यक्ष एवं संबंधित आहरण वितरण अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।
9. उपकरण/सामग्री, जो अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 से आच्छादित है, का य एवं आपूर्ति इस नियमावली में निर्धारित प्राविधानों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा। नियमावली से इत्तर उपकरण/सामग्री का य/आपूर्ति किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
10. संबंधित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी एवं संस्था के निकटतम पशुचिकित्साधिकारी द्वारा संस्था में रखे गये निराश्रित गोवंश की संख्या का भौतिक सत्यापन /जांच करते हुए यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत धनराशि का व्यय संबंधित संस्था द्वारा गोसदन में रखे गये निराश्रित पशुओं के भरण पोषण में ही किया जा रहा है तथा किसी भी स्तर पर स्वीकृत धनराशि का दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है। जनपद स्तर पर यदि इस संबंध में किसी भी प्रकार की अनियमितता एवं लापरवाही पायी जाती है तो संबंधित मुख्य पशुचिकित्साधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।
2. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-28 के लेखाशीर्षक 2403-पशुपालन आयोजनागत-00-106-अन्य पशुधन विकास-07 गोसदनों की स्थापना-42-अन्य विभागीय व्यय के अंतर्गत वहन किया जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश -391/9(150)2019/XXVII(1)/2022 दिनांक 24 जून, 2022 के म में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा०बी०वी०आर०सी०पुरुषोत्तम)
सचिव

संख्या 756 (1)/XV-1/22-1(8) 22 तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ रोड देहरादून।
2. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग गढवाल/कुमायूँ मण्डल पौड़ी/नैनीताल।
3. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, उत्तराखण्ड पशुकल्याण बोर्ड, देहरादून।
5. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. वित्त अनुभाग-4/नियोजन अनुभाग।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव